

CSIR-NATIONAL INSTITUTE OF SCIENCE COMMUNICATION AND POLICY RESEARCH
DR. K. S. KRISHNAN MARG, PUSA, NEW DELHI – 110 012

No. Income Tax/2021-22

Dated 29.06.2021

CIRCULAR

In order to enable this office to calculate and deduct of Income Tax from the monthly pension bills of the Pensioners for the **Financial Year 2021-22**, the required information in the proforma may kindly be furnished to **DDO, CSIR-NIScPR** latest by **30.07.2021** **alongwith self attested photocopies of saving certificate(s)**, if any, for considering grant of exemption/relief in accordance with the **Income Tax Act/Rules**, failing which, Income Tax will be deducted at the prescribed rates on the net taxable income as per rules. Please quote your "PAN No." invariably.

OPTED TAX REGIME : OLD / NEW


Drawing & Disbursing Officer

Name of Pensioner/Family Pensioner	
PPO No.	
PAN	
Residential Address	
Income from other sources (Please specify)	
a) Honorarium/fees	
d) Pension/Family Pension	
c) Any Other income (Please specify)	
Exemptions claimed (please specify)	
a) Donations	
b) Handicapped Relief	
c) Others	
Details of Savings	
a) LIC/ULIP	
b) PPF/FD	
c) NSC/NSC interest	
d) Others	
Other Savings (Please specify)	
a) Mediclaim/RGESS/Infra-bonds	

Certified that the above information given by me is correct to the best of my knowledge.

Signature of the Pensioner.....

Dated.....

Name.....

Phone No.....

PAN.....

Email.....

Copy to:- IT Section - kindly upload the Circular in the CSIR-NIScPR's website

सीएसआईआर-राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं नीति अनुसंधान संस्थान (निस्पर)
पूसा गेट, डॉ. के. एस. कृष्णन मार्ग, नई दिल्ली-110 012

सं. आयकर/2021-22

दिनांक: 29-06-2021

परिपत्र

इस संस्थान को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए पेन्शनरों के मासिक पेन्शन बिलों से आयकर गणना एवं वसूली करने की सुविधा हेतु निर्धारित प्रोफॉर्मा में मांगी गई सूचना दिनांक 30-07-2021 तक डीडीओ, सीएसआईआर-निस्पर के पास उपलब्ध कराएं। इसके साथ अपने बचत संबंधी सभी प्रमाणपत्रों, यदि कोई हो, की स्व-हस्ताक्षरित फोटोप्रतियां संलग्न करें ताकि आपको आयकर अधिनियम/ नियमों के अनुसार, आयकर में छूट/सुविधा दी जा सके। ऐसा न करने पर, आपकी शुद्ध करयोग्य आय में से नियमानुसार निर्धारित दरों पर आयकर काट लिया जाएगा। कृपया अपने स्थायी खाता संख्या (पैन) का अनिवार्य रूप से उल्लेख करें।

OPTED TAX REGIME: OLD/ NEW


आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डीडीओ)

पेन्शनर/ परिवार पेन्शनर का नाम		
पीपीओ नं.		
स्थायी खाता संख्या (पैन)		
आवासीय पता		
अन्य स्रोतों से प्राप्त आय (कृपया उल्लेख करें)		
(क)	मानदेय/ शुल्क	
(ख)	पेन्शन/ परिवार पेन्शन	
(ग)	अन्य	
छूट हेतु किया गया दावा (कृपया उल्लेख करें)		
(क)	चन्दा	
(ख)	विकलांगता सुविधा	
(ग)	अन्य	
बचत का ब्यौरा		
(क)	एलआईसी	
(ख)	पीपीएफ/एफडी	
(ग)	एनएससी/एनएससी पर ब्याज	
(घ)	अन्य (यूलिप आदि)	
अन्य बचत (कृपया उल्लेख करें)		
(क)	मैडिक्लेम/आरजीईएसएस/इन्फ्रा बॉन्ड	

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सही है।

दिनांक :

फोन नं.

पेन्शनर के हस्ताक्षर

नाम :